संख्या-20/2015/497/47-का-3/2015-13/2/2013

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2015**

विषय- पुनर्विनियोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आयोग के पत्र संख्या-287/लेखा-आयोग/2015-2/1(29)/2013-165, दिनांक 11.03.2015 के संदर्भ तथा शासनादेश संख्या-596/47-3-2014-13/2/2013, दिनांक 11.04.2014 एवं शासनादेश संख्या-81/1869/47-का-3-2014-13/2/2013, दिनांक 30.07.2014 एवं शासनादेश संख्या-15/2015/357/47-का-3-2015-13/2/2013, दिनांक 12.03.015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के माध्यम से कतिपय मदों में उपलब्ध करायी गयी धनराशि, वास्तविक व्यय से कम होने के कारण, 01-वेतन में होने वाली बचतों में से रू0-37,23,000.00 तथा 03-मंहगाई भत्ता में होने वाली बचतों से धनराशि रू0-1,61,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0-38,84,000.00 व्यावर्तित करते हुए, 07-मानदेय में रू0-70,000.00, 08-कार्यालय व्यय में रू0-91,000.00 एवं 29-अनुरक्षण में रू0-37,23,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0-38,84,000.00 (रूपये अडतीस लाख चौरासी हजार मात्र) उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल महोदय, इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि व्यावर्तन के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही कर लिया जायेगा तथा जिस मद से धनराशि से व्यावर्तित की जा रही है, में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-00-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-00" के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक-प्रपत्र बी.एम.-9.

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2015/497(1)/47-का-3/2015-13/2/2013, तददिनांक-

प्रतिलिपि प्रपत्र बी.एम.9 की प्रति के साथ निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, वितत्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 को तीन प्रतियों में।

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।